न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

पीठासीन अधिकारी : श्री वीरमाराम आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 18 / 2022

प्रार्थीगण **बनाम** **विप्रार्थीगण**

प्रार्थीगण:

1. उमाराम पुत्र राणाराम
2. ओटाराम पुत्र राणाराम
3. पुराराम पुत्र राणाराम
4. रामजीराम पुत्र राणाराम
5. सुआदेवी पत्नि राणाराम
6. हंजारीराम पुत्र राणाराम

जातियान कुम्हार निवासी खारा महेचार तहसील सिणधरी, बाड़मेर

विप्रार्थीगण:

1. बादराराम पुत्र ताराराम निवासी खारा महेचार तहसील सिणधरी, बाड़मेर
2. श्रीमान तहसीलदार (भू.अ.) सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. श्री भवंरलाल सारण वकील प्रार्थीगण उपस्थित।
2. विप्रार्थी सं. 1 स्वयं उपस्थित।
3. नायब तहसीलदार (उपखण्ड कार्यालय)राज.पैरोकार विप्रार्थी सं. 2 की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक– 20.10.2022

1.संक्षेप में आवेदन पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी भूमि ग्राम खारा महेचान पटवार मण्डल चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 453, 853 / 453, 852 / 453 भूमि अवस्थित अवस्थि[illegible] 453 से विभक्त होकर कायम हुए है। मूल खसरा नम्बर से विभक्त होकर नवसृजित खसरा [illegible] की तरमीम सही की गई है जबकि प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या [illegible] नम्बर 852 / 453 की तरमीम मौके पर विद्यमान पक्षकारान के कब्जे काश्त के अनुसार न होकर राजस्व कार्मिकों की भूल से कब्जा काश्त के विपरीत लटठा ट्रेस में कर दी गई, जबकि प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा हैतथा रहवासी ढाणी, टांके, चारबाड़े आदि बने हुए है, परन्तु मौजूदा तरमीम के आधार पर प्रार्थीगण की ढाणी, टांके विप्रार्थी संख्या 1 की भूमि के अंदर तरमीम होने के कारण प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है। अतः विवादित भूमि की मौका कब्जा स्थिति के अनुसार तरमीम दुरूस्ती करवानें हेतु यह आवेदन पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:20:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

2 प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी सं. 1 स्वयं ने उपस्थित होकर प्रार्थीगण की इस्तदुआ के अनुरूप मौके कब्जा काश्त को दृष्टिगत रखते हुए तरमीम दुरूस्ती किये जाने का उल्लेख किया है। विप्रार्थी संख्या 02 की ओर से नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय) राज.पैरोकार उपस्थित हुए। विवादित भूमि की मौका जांच रिर्पोट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई।

3.उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्य को दोहराते हुए कथन किया,कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी भूमि ग्राम खारा महेचान पटवार मण्डल चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी के खसरा संख्या 453, 853/453, 852/453 भूमि अवस्थित है, जो मूल खसरा नम्बर 453 से विभक्त होकर कायम हुए है। मूल खसरा नम्बर से विभक्त होकर नवसृजित खसरा संख्या 453 की तरमीम सही की गई है जबकि प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 853/453 व विप्रार्थी सं. 1 के खसरा नम्बर 852/453 की तरमीम मौके पर विद्यमान पक्षकारान के कब्जे काश्त के अनुसार न होकर राजस्व कार्मिकों की भूल से कब्जा काश्त के विपरीत लटठा ट्रेस में कर दी गई, जबकि प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा रहवासी ढाणी, टांके, चारबाड़े आदि बने हुए है लेकिन मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत लटढा नक्शा में तरमीम होने के कारण प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है। प्रार्थीगण द्वारा अपने खेत की जमाबंदी के साथ नक्शा प्रति नकल लेने पर पता चला कि मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत रिकॉर्ड में तरमीम कर दी गई है। अपनी बहस को जारी रखतें हुए आगे ओर कथन किया कि तहसीलदार सिणधरी ने अपनी मौका जांच रिपोर्ट में तरमीम दुरूस्ती करने की सिफारिश की गई है। जो तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि की लटढा नक्शा में तरमीम दुरूस्ती करवानें का आदेश फरमावें।

4.विप्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार नायब तहसीलदार ने अपनी बहस में जाहिर किया,कि तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

5.हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,दस्तावेजात एवं मौका जांच रिर्पोट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया ग्राम खारा महेचान पटवार मण्डल चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 453, 853/453 भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में पृथक दर्ज है एवं खसरा नम्बर 852/453 की भूमि विप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी में दर्ज है तथा तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत लटढा नक्शा में तरमीम हो रखी है,जो कि गलत तरमीम हो रखी है। जिसकी पुष्टि तहसील[illegible] की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 12.09.2022 से होता है,इस प्रकार [illegible] विपरीत तरमीम होनें के कारण प्रार्थीगण को अपूरणीय क्ष[illegible]गण का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार ही राजस्व रिकॉर्ड नक्शा लटढा में तरमीम हो[illegible]हिए। ताकि राजस्व रिकॉर्ड की एकरूपता बनी रहें और तहसीलदार सिणधरी ने भी अपनी मौका जांच रिर्पोट में मौका स्थिति के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने की अनुशंषा की गई है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है,कि विवादित भूमि के खातेदारान का मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड नक्शा लटढा में तरमीम नहीं हो रखी है। जो प्रार्थीगण मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार रिकॉर्ड में तरमीम दुरूस्त करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:20:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

6. लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम खारा महेचार पटवार मण्डल चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 853/453, 852/453 भूमि की विदयमान तरमीम निरस्त की जाकर तहसीलदार सिणधरी की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 12.09.2022 के संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्त करने के आदेश पारित किये जातें हैं,उक्त नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सिणधरी को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम दुरूस्ती सुनिश्चित करनें हेतु आदेशित किया जाता है।

(वीरमाराम)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 20.10.2022 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:20:20 IST
Reason: SelfAttested